आई. लक्ष्मा रेड्डी

बनाम

ए.पी.एस.आर.टी.सी. और अन्य

22 नवंबर, 2007

(डॉ. अरिजीत पासायत और पी. सथशिवम, जे.जे.)

श्रम कानून:

बहाली-नोशनल वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वेतन निर्धारण का दावा-हेल्डः बहाली का एक साधारण आदेश कर्मचारी को नोशनल वेतन वृद्धि के लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देगा।

अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर कर दावा किया कि श्रम न्यायालय द्वारा पारित सेवा में बहाली के आदेश के मद्देनजर, उसका वेतन अनुमानित वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सेवा में निरंतरता रहेगी। एकल न्यायाधीश ने "नागेश्वर राव"[1] (एपीएसआरटीसी खम्मम क्षेत्र और अन्य बनाम पी. नागेश्वर राव, (2001) 4 एएलडी 568 (डीबी)) के मामले में दिए फैसले पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को अनुमति दी, लेकिन उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने विभाग द्वारा दायर रिट अपील को अनुमति दे दी। व्यथित कर्मचारी ने तत्काल अपील दायर की।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

एस. नर्सागौड और अब्दुल करीम*[1] मामले में न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर,

---

1

सेवा में निरंतरता के लिए एक सरल निर्देश के साथ बहाली का आदेश कर्मचारी को वेतन वृद्धि के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं बनाएगा, जब तक कि विशेष रूप से उस आशय का आदेश न दिया गया हो। (पैरा 6 और 71) (435-ए, बी, सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2005 की सिविल अपील संख्या 4511।

रिट अपील संख्या 1092/2003 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 10.7.2003 से।

अपीलकर्ता की ओर से वी. श्रीधर रेड्डी और अभिजीत सेन गुप्ता।

उत्तरदाताओं के लिए डी. महेश बाबू।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा पारित किया गया

(डॉ. अरिजीत पसायत, जे.)

1. इस अपील में चुनौती, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को दी गई, जिसमें प्रतिवादी - आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में निगम) व उसके पदाधिकारियों द्वारा दायर रिट अपील की अनुमति दी गई है।

2. अपीलकर्ता द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि चूंकि श्रम न्यायालय ने उसे फिर से बहाल करने का निर्देश देते हुए एक अधिनिर्णय पुरस्कार पारित किया था, इसलिए उसका वेतन अनुमानित वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने एपीएसआरटीसी खम्मम क्षेत्र और अन्य बनाम पी. नागेश्वर राव, (2001) 4 एएलडी 568 डीबी में डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया तथा रिट याचिका स्वीकार की

गई।

3. वर्तमान उत्तरदाताओं ने फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने देखा कि पी. नागेश्वर राव (सुप्रा) के मामले में डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण को इस न्यायालय ने एपीएसआरटीसी बनाम एस नरसागौड (2003), 2 एससीसी 212 में अस्वीकार कर दिया था और इसलिए रिट याचिका को खारिज करने के निर्देश की रिट अपील की अनुमति दी गई।

4. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि जब सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पुनर्बहाली का आदेश पारित किया जाता है तो सेवा में निरंतरता रहेगी और, जब पुनर्बहाली की जाती है तो अन्यथा अर्जित होने वाली अनुमानित वेतन वृद्धियों पर विचार करने के बाद वेतन तय करना होगा।

5. दूसरी ओर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया

6. इस बिंदु पर कानून के सिद्धांत अब रेस इन्टेग्रा नहीं रहे। एस. नर्सागौड (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने फैसले के पैरा 9 में कानून के सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट किया:

> "हम किये गये निवेदन में योग्यता पाते हैं। सेवा की निरंतरता के लिए एक सरल निर्देश के साथ बहाली के आदेश और एक निर्देश जहां बहाली के साथ एक विशिष्ट निर्देश होता है कि कर्मचारी सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा, जो लाभ, आवश्यक रूप से बहाली से मिलते हैं या एक विशिष्ट निर्देश के साथ आते हैं कि कर्मचारी अनुपस्थिति

की अवधि के दौरान अर्जित वेतन वृद्धि का लाभ पाने का हकदार होगा, के बीच एक अंतर है। हमारी राय में, ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति का दोषी ठहराए जाने के बाद कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए, उक्त विषय में, विशिष्ट निर्देश के अभाव में यह दावा नहीं कर सकता कि अनुपस्थिति की अवधि के दौरान अर्जित वेतन वृद्धि का लाभ केवल इसलिए दिया जाना चाहिए कि उसे सेवा में निरंतरता के लाभ के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया है।"

7. ए.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम अब्दुल करीम, (2005), 6 एससीसी 36 में अन्य मामले में इस स्थिति को फिर से दोहराया गया। एस. नरसागौड और अब्दुल करीम (सुप्रा) मामलों में इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

आर.पी. अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रश्मि नवल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।